229

Registration and Stamp Department

Madhya Pradesh

Notary Register No. 336

27-10-23

Certificate of Stamp Duty

Dinesh Sharma Service Provider SP01274390520200047 B.No.47, Neemuch

E-Stamp Details

E-Stamp Code	01012725102023001251
Total E-Stamp Amount	50
Govt. Stamp Duty (Rs.)	50
Janpad Duty (Rs.)	0
Exempted Amount(Rs.)	0
Municipality Duty (Rs.)	0
Upkar Amount (Rs.)	0
E-Stamp Type	NON-JUDICIAL
Issue Date & Time	25/10/2023 11:45:15
Service Provider or Issuer Details	DINESH SHARMA/SP01274390520220047
SP/SRO/DRO/HO Details	B.NO.47, JAIN BHAWAN ROAD, BEHIND KHURSHID TALKIES, NEEMUCH NEEMUCH NEEMUCH

NOTARIAL NOTARIAL

Deed Details

Deed Type	Affidavit
Deed Instrument	Affidavit, that is to say, a statement in writing purporting to be a statement of fact, signed by the person making it and confirmed by him on oath or, in the case of persons by law allowed to affirm instead of swearing, by affirmation.- Fifty rupees.
Purpose	AFFIDAVIT

First Party Details

Name	UMRAO SINGH GURJAR S/O D/O W/O C/O SHIVLAL JI GURJAR
Address	964, SKIM NO.36B, NEEMUCH NEEMUCH Madhya Pradesh INDIA
Number of Persons	1

Second Party Details

Organization Name	RETURNING OFFICER
Address	NEEMUCH NEEMUCH Madhya Pradesh INDIA
Number of Persons	1

AFFIDAVIT

शपथ ग्रहण की गई समक्ष 27-10-23

द्वारा श्री उमराव सिंह गुर्जर आयु 59 वर्ष

पिता श्री शिवलाल जी गुर्जर

निवासी एम. आई. 41 स्कीम नं. 36 नीमच

जिसको मैं स्वयं परिचित हूँ/पहचान ...... द्वारा पहचाने गये

जिसके हस्ताक्षर अंकित है।

NOTARIAL NOTARIAL

लाल कृष्ण शर्मा एडवोकेट एवं नोटरी ... नीमच

Digitally signed by DINESH SHARMA
Date: 2023.10.25 11:45:19 IST

Dinesh Sharma Service Provider
Sharma Typing, Neemuch

Notary Register No. 338
27-10-23

उपरोक्त प्रोफार्मा में संपूर्ण विवरण उल्लेखित कर नोटरी से शपथ–पत्र कराकर प्रदेश कांग्रेस कार्यालय को तत्काल प्रेषित करें।

शपथ–पत्र

प्रारूप–सी–2

1	2	3	4		5		
क्रमांक	अभ्यर्थी का नाम	निर्वाचन क्षेत्र का नाम	लंबित आपराधिक मामले		आपराधिक मामलों के लिए दोषसिद्धि के विवरण के संबंध में विवरण		
			न्यायालय का नाम मामले की सं. एवं मामलों की स्थिति	संबंधित अधिनियमों की धाराएँ और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण	न्यायालय का नाम एवं आदेश (शों) की तारीख	अपराध(धों) और अधिरोपित किए गए दण्ड का विवरण	[illegible]
01	उमरावसिंह गुर्जर पिता शिवलाल गुर्जर	229 नीमच	जे.एम.एफ.सी. मनासा, जिला नीमच 426/2018 विचाराधीन	भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 दिनांक 10.11.2018 को दोपहर 2 बजे से 4 बजे के मध्य कॉंग्रेस प्रत्याशी उमरावसिंह गुर्जर पार्टी का झण्डा लेकर अपने समर्थक जो कि संख्या 150 से 200 कार्यकर्ताओं के साथ बस स्टेण्ड से सहस्त्रमुखेश्वर महादेव मंदिर पर जुलुस के रूप मंदिर दर्शन गये थे, उक्त जुलुस व रैली की अनुमति नहीं होना पता चला, जिस पर एफएसटी प्रभारी कार्यपालिक मजिस्ट्रेट द्वारा थाना कुकडेश्वर पर भादवि की धारा 188 के तहत एफआईआर दर्ज की गई।	न्यायिक मजिस्ट्रेट महोदय प्रथम श्रेणी नीमच प्र.क्र. 2104/2006	दिनांक 09.11.2003 को 01.45 बजे कांग्रेस कार्यकर्ता उमरावसिंह गुर्जर के नेतृत्व में करीब 100 व्यक्तियों का जुलूस जिसमें से कुछ व्यक्ति ट्रेक्टर व जीप में बैठे हुए थे और उक्त जुलुस मधु नसीराबाद रोड मैसी चौराहे नीमच से निकला और ऑटो में लाउड स्पीकर लगाकर उमरावसिंह को विधानसभा प्रत्याशी बनाने के नारे लगा रहे थे, उमरावसिंह के साथ करीब 250–300 व्यक्ति एकत्रित होकर 02.30 बजे राष्ट्रीय राजमार्ग पर बैठकर आवागमन को करीब 20 मिनट तक अवरूद्ध कर दिया, तब पुलिस व अनुविभागीय दंडाधिकारी नीमच की उपस्थिति में चक्का जाम खुलवाया। अभियुक्तगण द्वारा बगैर वैधानिक अनुमति के जुलुस निकालकर चक्का जाम किया गया, इनके द्वारा जिला दंडाधिकारी नीमच के आदेश कमांक 1874/वि.स. निर्वा./03/नीमच दिनांक 12.10.2003 का उल्लंघन किया गया, जिसके उपरांत घटना की रिपोर्ट पुलिस थाना नीमच केन्ट पर अपराध कमांक 597/03 पर नामजद पंजीबद्ध हुई व पुलिस के अनुसंधान कार्य पश्चात चालान न्यायिक मजिस्ट्रेट महोदय नीमच के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जिसमें न्यायालय ने प्रत्याशी व अन्य आरोपी सरदारसिंह को भादवि की धारा 143 व 341 के आरोप में दोषसिद्ध पाया। प्रत्याशी उमरावसिंह को धारा 143 के आरोप में 6 माह का साश्रम कारावास तथा एक हजार रूपये के अर्थदण्ड से तथा शेष अभियुक्तगण को भादवि की धारा 143 के आरोप में 3 माह के	[illegible]

बाल कृष्ण शर्मा
एडवोकेट एवं नोटरी
नियुक्त व अधिकृत अन्तर्गत
नोटरी नियम 1952 व नियम 1956
62, प्रताप नगर, नीमच

						सश्रम कारावास तथा एक हजार रूपये के अर्थदण्ड से तथा सभी अभियुक्तगण को भादवि की धारा 341 के आरोप में एक माह के साधारण कारावास तथा 500 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है व अर्थदण्ड के व्यतिक्रम में अभियुक्तगण को कमशः 1 माह तथा 15 दिवस का साधारण कारावास पृथक से भुगताये जाने का भी आदेश दिया गया। विचारण न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट नीमच द्वारा पारित निर्णय दिनांक 04.04.2018 के विरूद्ध माननीय सत्र न्यायालय के समक्ष आपराधिक अपील प्रस्तुत की गई जो प्रकरण कमांक 57/2018 पर पंजीबद्ध हुई, जिसमें न्यायालय ने अपील को आंशिक रूप से स्वीकार कर दिनांक 02.08.2018 को निर्णय पारित किया, जिसमें धारा 143 व 341 में पारित दोषसिद्धि की पुष्टि की गई, लेकिन अभियुक्तगण उमरावसिंह व सरदारसिंह को धारा 143 भादवि के आरोप में 6 माह के सश्रम करावास व एक हजार रूपये अर्थदण्ड व शेष अभियुक्तगण को धारा 143 भादवि में 3 माह के सश्रम कारावास व एक हजार रूपये के अर्थदण्ड के स्थान पर केवल अर्थदण्ड 1000/- के दंडादेश की पुष्टि की गई, इसी प्रकार धारा 341 भादवि के आरोप में एक माह के साधारण कारावास व 1000 रूपये अर्थदण्ड के स्थान पर केवल 500 रूपये अर्थदण्ड की पुष्टि की गई और कारावास के दंड को अपास्त किया गया। नोट– अपील निर्णय दिनांक 02.08.2018 के विरूद्ध आरोपीगण ने माननीय उच्च न्यायालय इंदौर के समक्ष पुनरीक्षण प्रस्तुत की, जो सीआरआर नंबर 5054/2018 पर पंजीबद्ध हुई, जिसे माननीय उच्च न्यायालय ने आदेश दिनांक 17.07.2019 अनुसार निरस्त कर अर्थदण्ड 1500/- को यथावत रखा गया है।	

शपथग्रहिता————

नोट :- जिन प्रत्याशियों के कोई भी आपराधिक प्रकरण उपरोक्त प्रोफार्मा से संबंधित नही है उन्हें शपथ-पत्र प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है।

बाल कृष्ण शर्मा
एडवोकेट एवं नोटरी
नियुक्त व अधिकृत अन्तर्गत
नोटरी विधान 1952 व नियम 1956
82 जवाहर नगर, नीमच